न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

दावा मु.नं. 10/21 जी.सी.एम.एस. 2021/25

1. रघुनन्दन पुत्र भैरूलाल उम्र 24 वर्ष जाति धोबी ।
2. भोजराज पुत्र भैरूलाल जाति धोबी निवासीगण ग्राम आंवा तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान।

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित —

वादी की ओर से— एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से— तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक— 16.02.2021

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त कराने बाबत वाद—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल आंवा पटवार हल्का आंवा तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान में खसरा नबंर 2450 की 0.34 है0, खसरा नंर 2461 रकबा 0.29 है0, खसरा नबंर 390 की रकबा 0.92 है0 कुल खसरा किता 03 की रकबा 1.55 है0, आराजी स्थित है, जिसमें वादी नबंर 01 व 02 दोनों का बराबर 1/2— 1/2 हिस्सा निहित है।

यह कि उक्त आराजी में दर्ज खातेदारान दीपक कुमार व भानु कुमार पुत्रान भैरूलाल के नाम है, वह नाम वादीगण के ही हैं। वादी क्रम 01 रघुनन्दन को भी बचपन में माता—पिता द्वारा दीपक कुमार नाम से पुकारा व बोला जाता था इसी प्रकार वादी नबंर 02 भोजराज को भी बचपन में भानू कुमार नाम से पुकारा जाता था।

यह कि वादीगण के पिता भैरूलाल के फोत होने पर नामान्तरण में रिश्तेदारों ने बचपन के बोलते नाम वादी रघुनन्दन का नाम दीपक कुमार व वादी नबंर 02 भोजराज का नाम भानु कुमार दर्ज करा दिया। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के बचपन के बोलते नाम दर्ज हो गये।

जबकि स्कूल के प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड [illegible] में वादी नबंर 01 का नाम रघुनन्दन व वादी नबंर 02 का नाम भोजराज दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

कार्यालय उप जिला कलेक्टर

इसलिये वादीगण के राजस्व रिकार्ड व पहचान के दस्तावेजों में नाम की भिन्नता आने के कारण वादीगण को उक्त आराजी में कृषि कनेक्शन लेने में , सरकारी कांटे पर अनाज बेचेने , सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, कृषि ऋृण प्राप्त करने आदि में भारी परेशानी आ रही है।

इसलिये वादीगण द्वारा वाद दायर कर निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार कर इस आशय की इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि माल ग्राम आंवा पटवार मण्डल आंवा तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान के खसरा नबंर 2450 की 0.34 है0, खसरा नंर 2461 रकबा 0.29 है0, खसरा नबंर 390 की रकबा 0.92 है0 कुल खसरा किता 03 की रकबा 1.55 है0, के राजस्व रिकार्ड में वादी नबंर 01 का नाम दीपक कुमार के स्थान रघुनन्दन पुत्र भैरूलाल व वादी नबरं 02 का नाम भानु कुमार के स्थान पर भोजराज पुत्र भैरूलाल दर्ज किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादी जारी की गई, प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 10.02.21 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कि वाद में वादीगण के नाम ग्राम आवां की आराजी खसरा नबंर 2450 की 0.34 है0, खसरा नंर 2461 रकबा 0.29 है0, खसरा नबंर 390 की रकबा 0.92 है0 कुल खसरा किता 03 की रकबा 1.55 है0, भूमि दीपक कुमार बालिग व भानू कुमार नाबालिग जाति धोबी के खाते दर्ज रिकॉर्ड हैं वादी दीपक कुमार के स्थान पर रघुनन्दन व वादी नबंर 02 भानु कुमार के स्थान पर भोजराज तथा भोजराज को बालिग दर्ज करवाना चाहते है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सेकेण्डरी स्कूल की अंकतालिका , बैंक खाता पासुक, पेनकार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण–पत्र में वादीगण का रघुनंदन व भोजराज दर्ज है। साथ ही भोजराज बालिग है। अतः वादीगण का राजस्व रिकार्ड क्रमश दीपक कुमार के स्थान पर रघुनन्दन पुत्र भैरूलाल व वादी नबंर 02 का नाम भानु कुमार के स्थान पर भोजराज (बालिग) पुत्र भैरूलाल दर्ज किये जाने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इससे राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमारे द्वारा वाद के अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों, जवाब सरकार, पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र व वादीगण का स्वयं का शपथ–पत्र, गवाह आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, वोटर पहचान पत्र का अवलोकन करने पर हम वादीगण के नाम ग्राम आवां की आराजी खसरा नबंर 2450 की 0.34 है0, खसरा नंर 2461 रकबा 0.2[illegible] खसरा नबंर 390 की रकबा 0.92 है0 कुल खसरा किता 03 की रकबा 1.55 है0, राजस्व रिकार्ड [illegible] नबंर 01 का नाम दीपक कुमार के स्थान पर रघुनन्दन पुत्र भैरूलाल व वादी नबंर 02 का नाम भानु कुमार के स्थान पर भोजराज (बालिग) पुत्र भैरूलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daiga
Date: 2021.04.01 15:51:53 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आवां की आराजी खसरा नबंर 2450 की 0.34 है0, खसरा नंर 2461 रकबा 0.29 है0, खसरा नबंर 390 की रकबा 0.92 है0 कुल खसरा किता 03 की रकबा 1.55 है0, राजस्व रिकार्ड में वादी नबंर 01 का नाम दीपक कुमार के स्थान पर रघुनन्दन पुत्र भैरूलाल व वादी नबंर 02 का नाम भानु कुमार के स्थान पर भोजराज (बालिग) पुत्र भैरूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:53 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास राजेश डागा **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

दावा मु.नं. 10/21 जी.सी.एम.एस. 2021/25

1. रघुनन्दन पुत्र भैरूलाल उम्र 24 वर्ष जाति धोबी।
2. भोजराज पुत्र भैरूलाल जाति धोबी निवासीगण ग्राम आंवा तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

मुकदमा नं. 10/21 सन् 2010 तारीख फैसला 16.02.2021 **न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया** मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी **राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है, ग्राम आवां की आराजी खसरा नबंर 2450 की 0.34 है0, खसरा नं 2461 रकबा 0.29 है0, खसरा नबंर 390 की रकबा 0.92 है0 कुल खसरा किता 03 की रकबा 1.55 है0, राजस्व रिकार्ड में वादी नबंर 01 का नाम दीपक कुमार के स्थान पर रघुनन्दन पुत्र भैरूलाल व वादी नबंर 02 का नाम भानु कुमार के स्थान पर भोजराज (बालिग) पुत्र भैरूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **16.02.2021** माह फरवरी **2021** को जारी की गई।

मोहर ....

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	""	---------NIL---------		स्टाम्प वकालतनामा	""	---------NIL---------	
स्टाम्प वकालतनामा	""			स्टाम्प अर्जी	""		
स्टाम्प वजह सबूत	""			महनताना वकील	""		
महनताना वकील	""			खर्चा गवाहान	""		
खर्चा गवाहान	""			फीस कमिश्नर	""		
फीस कमिश्नर	""			बाबत इजराय हुकमनामा	""		
बाबत इजराय हुकमनामा	""			मुतफर्रिक			
मुतफर्रिक	""			मी[illegible]			
मीजान	""						

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:53 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का ... डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा